

महलियों के सशक्तीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आहवान

प्रलिमिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, निरिवाचति महलियों के सशक्तीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का आहवान।

मेन्स के लिये:

भारत में लैंगिक समानता और महलियों के सशक्तीकरण, महलियों के लिये शासन सुधार, भारत में महलियों की राजनीतिक भागीदारी

स्रोत: हिंस्तान टाइम्स

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने निरिवाचति महलियों को सशक्त बनाने और उनकी स्वायत्तता की रक्षा के लिये शासन सुधारों का आहवान किया है। इसने प्रणालीगत लैंगिक पूर्वाग्रह, नौकरशाही के अतिक्रमण और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को उज़ागर किया जो नेतृत्व की भूमिकाओं में महलियों को कमज़ोर करते हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिये आत्मनिरीक्षण और संरचनात्मक परविरत्न का आग्रह किया।

शासन में महलियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- प्रणालीगत भेदभाव:** भारत की प्रणालीगत नियमों (PRI) की निरिवाचति महलियों (EWR) को प्रायः नौकरशाहों के अधीनस्थ माना जाता है, जो अक्सर उनकी वैधता की अनदेखी करते हैं।
 - नौकरशाह अपनी भूमिका का अतिक्रमण कर सकते हैं, निरिवाचति प्रतिनिधियों से परामर्श कर्या बना एकत्रफा निरिण्य ले सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रया कमज़ोर हो सकती है।
 - यह शक्तिअसंतुलन निरिवाचति प्रतिनिधियों, वशिष्ठकर महलियों की निरिण्य लेने की क्षमता को बाधित करता है।
- सरपंच-पतवाद:** इसे प्रधान-पतवाद के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रथा जिसमें निरिवाचति महलियों के पतवाद का प्रयोग करते हैं, जिससे महलियों की स्वायत्तता और नेतृत्व कमज़ोर होता है। यह प्रतिस्तान को मज़बूत करता है और महलियों को सशक्त बनाने के लिये 73 वें संविधान संशोधन (पंचायतों में महलियों के लिये आरक्षण) के इसादे को कमज़ोर करता है।
- इसे प्रधान-पतवाद के नाम से भी जाना जाता है, यह पंचायतों में अपनाई जाने वाली एक प्रथा है, जहाँ पुरुष प्रायः वास्तविक राजनीतिक और निरिण्य लेने की शक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि निरिवाचति महलियों प्रतिनिधि संरप्त या प्रधान का पद धारण करती है, जिसके कारण महलियों के लिये स्वायत्तता में कमी आती है।
- राजनीतिक बाधाएँ:** महलियों को अक्सर अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में सीमित वित्तीय सहायता और कम राजनीतिक संबंधों का सामना करना पड़ता है।
 - राजनीतिक दल महलियों उम्मीदवारों को कम संसाधन आवंटित कर सकते हैं, जिससे उनके लिये चुनाव लड़ना और मान्यता प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाएगा।
 - इसके अतिरिक्त, सीमित संसाधनों के कारण पंचायती राज संस्थाओं में अधिकांश महलियों जिनप्रतिनिधियों के लिये एक ही कार्यकाल के लिये पद पर रहती हैं, जिससे उनकी दोबारा भागीदारी करने की क्षमता में बाधा आती है।
- हसिया और धमकियों:** महलियों को धमकियों, उत्पीड़न और हसिया का सामना करना पड़ सकता है, जो उन्हें अपनी भूमिका पूरी तरह से नभिन्न से रोक सकता है।
 - प्रशासनिक अधिकारी और पंचायत सदस्य प्रायः महलियों से बदला लेने के लिये एकजुट हो जाते हैं।
- प्राकृतिक न्याय के सदिधानों की उपेक्षा:** निरिवाचति महलियों को हटाने से उन्हें निषिपक्ष सुनवाई से वंचित करके और अस्पष्ट निरिण्य लेकर लोकतांत्रिक मानदंडों और निषिपक्षता को कमज़ोर किया जाता है, जिससे शासन में भेदभाव और पक्षपातपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है।
- संरचनात्मक बाधाएँ:** विभिन्न कार्यालयों और प्रक्रयात्मक बाधाएँ महलियों की विकासात्मक पहल में बाधा डालने के साथ शासन में उनकी भागीदारी को हतोत्साहित करती हैं।

शासन में महलियों की भूमिका क्या है?

- लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: शासन में महलियों की भागीदारी दीर्घकालिक लैंगिक असमानताओं को दूर करती है तथा नरिण्य लेने की प्रक्रयाओं में समानता को बढ़ावा देती है।
- यह उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती देकर सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्रों में प्रतनिधित्व सुनिश्चित करता है, जो महलियों की भूमिका को नजीब क्षेत्र तक सीमित रखते हैं।
- नीतिगत परणियों में वृद्धि: महलियों अपने अनुभवों से उत्पन्न विविध वृष्टिकोण लेकर आती हैं, जिससे नीतिनिर्माण अधिक व्यापक और सहानुभूतपूरण हो जाता है।
 - उदाहरण के लिये, राजस्थान में EWR [स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ी पहलों](#) और प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने के प्रयासों के माध्यम से प्रयावरणीय स्थिरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे स्वच्छ एवं हरति भविष्य में योगदान मिल रहा है।
- महलियों को अक्सर कम भर्षण और अपनी जमिमेदारियों के प्रतिअधिक प्रतिबिधि माना जाता है, जिससे लोक प्रशासन में पारदर्शता और वशिवास बढ़ता है।
- [उनका समावेशन लैंगिक-संवेदनशील नीतियों](#) के नरिण्य को सुनिश्चित करता है, तथा मातृ स्वास्थ्य, कार्यस्थल समानता और शक्ति जैसे मुद्दों पर ध्यान देता है।
- ज़मीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना: स्थानीय प्रशासन में महलियों की भागीदारी अन्य महलियों को भी ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित करती है, जिसके परणिमासवरूप सशक्तीकरण की एक शृंखला बनती है। इसके अतिरिक्त, [स्वयं सहायता समूहों \(SHG\)](#) के विसितार का समर्थन करके, यह भागीदारी आजीवकियों को बढ़ाती है।
- स्थानीय शासन में भारत की 44% से अधिक EWR की भागीदारी सीट आरक्षण और महलियों की सफलता को दर्शाती है।
- लगि आधारित हसियों का समाधान: [महलियों की भागीदारी वर्ष 2023](#) में 2 लाख बाल विवाह पर रोक लगाई गई। विदित है की EWR द्वारा अपने निरिवाचन क्षेत्रों में महलियों द्वारा रपोर्ट किये गए दुर्व्यवहार को रोकने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन: लोकतांत्रिक मूल्यों में महलियों का समर्थन अधिक आवादी को नीतिनिर्माण में अपनी बात कहने का अधिकार सुनिश्चित करता है, महलियों की भागीदारी लोकतांत्रिक आदर्शों को कायम रखती है। यह राजनीतिक प्रक्रयाओं में समान प्रतनिधित्व के अधिकार के साथ-साथ सामाजिक निषिक्षण का भी समर्थन करता है।

भारत के शासन में महलियों का प्रतनिधित्व

- संसद: लोकसभा में महलियों का प्रतनिधित्व वर्ष 2004 तक 5-10% से बढ़कर 18वीं लोकसभा (2024-वर्तमान) में 13.6% हो गया है, जबकि [राज्यसभा](#) में यह 13% है।
 - चुनाव लड़ने वाली महलियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 1957 में 45 महलियों से बढ़कर वर्ष 2024 में 799 (कुल उम्मीदवारों का 9.5%) हो गई है।
- राज्य विधानमंडल: राज्य विधानमंडलों में महलियों के प्रतनिधित्व का राष्ट्रीय औसत सरिक 9% है, और कसी भी राज्य में महलियों की संख्या 20% से अधिक नहीं है। छत्तीसगढ़ में यह आँकड़ा सबसे अधिक 18% है।
- पंचायती राज संस्थाएँ: [भारतीय रजिस्टर बैंक \(RBI\)](#) की वर्ष 2024 की रपोर्ट के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं के कुल प्रतनिधित्वों में से 45.6% EWR हैं।
- शहरी स्थानीय निकाय: भारत में 46% पारषद महलियों हैं, तथा सक्रिय शहरी स्थानीय निकायों वाले 21 राजधानी शहरों में से 19 में यह संख्या 60% से अधिक है।
- वैश्विक परादीश्य: संसद के निम्न सदन के संदर्भ में भारत में महलियों का प्रतनिधित्व 185 देशों में से 143वें स्थान पर है।

शासन में महलियों की भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु भारत में कौन से प्रयास किये गए हैं?

- पंचायतों में आरक्षण: [73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992](#) के अनुसार पंचायतों (स्थानीय सरकारी निकायों) में एक तहिई सीटें महलियों के लिये आरक्षणीय की गई हैं, जिनमें अध्यक्ष का पद भी शामिल है।
 - शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण: पंचायतों के समान ही [74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992](#) द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (जैसे नगर पालिकाओं) में महलियों के लिये एक तहिई आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- महलियों का आरक्षण अधिनियम, 2023: [106वें संविधान संशोधन \(2023\)](#) के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महलियों के लिये एक तहिई सीटें आरक्षणीय करने का प्रावधान किया गया है।
 - यह आरक्षण 106 वें संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के बाद लागू होगा, जिसमें [परसीमन प्रक्रिया](#) भी शामिल होगी।
 - राष्ट्रीय महलियों का आरक्षण (NCW): वर्ष 1992 में स्थापित NCW महलियों के हतियों की रक्षा एवं संवरद्धन पर केंद्रित है, जिसमें शासकीय भूमिकाओं में कार्यरत महलियों भी शामिल हैं।
 - सहायक कानून: [घरेलू हसियों की सुरक्षा अधिनियम, 2005](#) और [कार्यस्थल पर महलियों का योन उत्पीड़न \(रोकथाम, निषिद्ध एवं नविरण\) अधिनियम, 2013](#) जैसे कानून महलियों को शासन में भाग लेने हेतु एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं।
- पहले:
 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA): वर्ष 2018 में शुरू किये गए RGSA का उद्देश्य स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने तथा महलियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये प्रौद्योगिकी एवं संसाधनों का उपयोग करके उत्तरदायी ग्रामीण शासन के क्रम में PRI की क्षमता को मजबूत करना है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP): यह महलियों सभाओं सहित बजट, योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से

महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर केंद्रति है।

महिला आरक्षण अधिनियम, 2023

[संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023]

उद्देश्य

- लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटों का आरक्षण

पृष्ठभूमि

- विधेयक को को पूर्व में वर्ष 1996, 1998, 2009, 2010, 2014 में प्रस्तुत किया गया
- संबंधित समितियाँ:
 - भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति (1971)
 - मारिट अल्या की अध्यक्षता वाली समिति (1987)
 - गीता मुखर्जी समिति (1996)
 - महिलाओं की स्थिति पर समिति (2013)

प्रमुख विशेषताएँ

जोड़े गए अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 330A- लोकसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 332A- राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 239AA- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिये आरक्षण
- अनुच्छेद 334A- आरक्षण, परिसीमन और जनगणना होने के बाद प्रभावी होगा

समयावधि:

- आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिये प्रदान किया जाएगा (बढ़ाया जा सकता है)।

आरक्षित सीटों का रोटेशन:

- हर परिसीमन के बाद

आवश्यकता

कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व:

- लोकसभा में केवल 82 महिला सांसद (15.2%) और राज्यसभा में 31 (13%)
- औसतन, राज्य विधानसभाओं में कुल सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 9% है

आगे की राह

- संरचनात्मक सुधार: नरिवाचति प्रतिनिधियों एवं नौकरशाहों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये शासन ढाँचे को नया स्वरूप देना चाहिये। इसके साथ ही प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिये जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना चाहिये।
- प्रौद्योगिकी एकीकरण: महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति एवं सहभागति की निपिरानी हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिये। महिलाओं से संबंधित मुददों को उठाने एवं ज़मीनी स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन का प्रयोग करना चाहिये।
- महिला नेतृत्व को बढ़ावा देना: महिला जनप्रतिनिधियों के लिये कृषमता नरिमाण पहल को प्रोत्साहित (वशिष्ठ रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) करना



तर्क

पक्ष में:

- लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम
- निर्णयन प्रक्रिया के लिये व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा
- राजनीतिक/सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने में सहायक

विरुद्ध:

- वर्ष 2021 की जनगणना (जो अभी तक पूरी नहीं हुई है) के आधार पर परिसीमन अनिवार्य है
- राज्यसभा और राज्य विधानपरिषदों में महिला आरक्षण नहीं

आगे की राह

- राजनीतिक दलों में महिलाओं के लिये आरक्षण
- महिलाओं द्वारा स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेना; सरपंच-पतिवाद पर काबू पाना

चाहयि। उन्हें प्रणालीगत चुनौतियों से नपिटने में मदद करने के क्रम में मार्गदरशन एवं सहायता प्रदान करनी चाहयि।

- **सुवर्ण सहायता समूहों** जैसे मंचों से उम्मीदवारों का चयन करके पंचायत की भूमिकाओं (जैसे, पंचायत सचिव) में महलिया प्रतनिधित्व बढ़ाना चाहयि।

■ **समावेशी शासन पदधतियाँ:** सभी स्तरों पर नियन्त्रण लेने वाली संस्थाओं में महलियाओं का उचित प्रतनिधित्व सुनिश्चित करना चाहयि। नरिवाचति प्रतनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहयोग की संस्कृता को बढ़ावा देना चाहयि।

■ **वधिक सुरक्षा उपाय:** नरिवाचति प्रतनिधियों के मामलों में प्राकृतिक न्याय के सदिधार्तों के उल्लंघन हेतु कठोर दंड का प्रावधान करना चाहयि। इसके साथ ही प्रणालीगत उत्पीड़न का समाधान करने के लिये शक्तियां नविपरण तंत्र विकसित करना चाहयि।

???????? ????? ?????????? ??????

प्रश्न: शासन में महलियों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजयि और राजनीतिक प्रक्रयि में उनकी सक्रायि भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु उपाय बताइये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न.1 भारत में महलियों के समक्ष समय और स्थान संबंधित नरितर चुनौतियाँ क्या-क्या हैं? (2019)

प्रश्न.2 विविधता, समता और समावेशता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महलियों के प्रतनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजयि। (2021)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-calls-for-reform-to-empower-women-leaders>

